



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in  
E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422  
Fax: 0484-2668468

DIN : 20230958MB0000815878


[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

**अधिसूचना संख्या 03/2023**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, सीमा शुल्क आयुक्त, कोचिन एतद्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को डी-नोटिफाई करता हूँ, जो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार विल्लिंगडन आईलैंड, एर्नाकुलम जिला, केरल राज्य में स्थित मौजूदा एर्नाकुलम वार्फ के क्यू 9 बर्थ के बैक-अप एरिया का भाग है।

**तालिका**

स्थल	एर्नाकुलम वार्फ के क्यू 9 बर्थ का बैक अप एरिया	
क्षेत्रफल	0.3112 हेक्टेयर	
सीमाएँ	उत्तर	एर्नाकुलम चैनल में क्यू 10 बार्ज बर्थ
	पूर्व	मैसर्स फैक्ट को पट्टे पर दिया क्यू 10 का क्षेत्र
	पश्चिम	क्यू 9 बर्थ बैक अप एरिया
	दक्षिण	

  
(राजेन्द्र कुमार)  
सीमा शुल्क आयुक्त

F. No. S25/47/2006 I&B.Cus/

दिनांक: 13.10.2023

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन, सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोचिन।
2. अध्यक्ष, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन।
3. प्रबंधक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली -64.
4. सभी प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त।
5. सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क।
6. प्रकाशन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, गगनदीप बिल्डिंग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली।
7. अवर सचिव, सी.बी.आई.सी., (एलसी अनुभाग / Cus.VII), नई दिल्ली।
8. राजस्व आसूचना निदेशालय, आईपी भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, एंटी इवेशन (अपवंचन-रोधी), नई दिल्ली।
10. महानिदेशक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
12. अधीक्षक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, त्रिवेन्द्रम - 1 - उपर्युक्त अधिसूचना को अगले आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ।

प्रतिलिपि: आयुक्त की फ़ाइल/अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/सभी उप आयु. /सहा. आयु. /गार्ड फ़ाइल।

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUBSECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA-ORDINARY]

### **NOTIFICATION No. 03/2023**

In exercise of the powers conferred on me under Section 8 of the Customs Act, 1962, I, Rajendra Kumar, Commissioner of Customs, Cochin, hereby denote the following area, which is part of the backup area of the Q9 Berth of the Ernakulam Wharf, Willingdon Island, Ernakulam District, in the State of Kerala, as per the limits specified in the table below.

**TABLE**

<b>Location</b>	<b>Q-9 Berth Backup area of Ernakulam Wharf</b>	
Area	0.3112 ha	
Boundaries	North	Q10 Barge Berth in Ernakulam Channel

	East	Q10 Area leased to M/s. FACT
	West	Q9 Berth Backup Area
	South	

  
(RAJENDRA KUMAR)  
**COMMISSIONER OF CUSTOMS**

F. No. S25/47/2006 I&B.Cus/

Date : 13.10.2023

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Press Road, Cochin.
2. The Chairman, Cochin Port Trust, Cochin.
3. The Manager, Govt. of India Press, New Delhi – 64.
4. All Principal Chief Commissioners of Customs.
5. All Chief Commissioners of Central Excise & Customs.
6. Directorate of Publications, Central Excise & Customs, Gagandeep Building, Rajendra Place, New Delhi.
7. Under Secretary, C.B.I.C., (LC Section / Cus.VII), New Delhi.
8. Directorate of Revenue Intelligence, IP Bhavan, IP Estate, New Delhi.
9. Director General of Anti-Evasion, New Delhi.
10. Director General of Inspection & Audit, Central Excise & Customs, New Delhi.
11. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
12. The Superintendent, Govt. of India Press, Trivandrum – 1 – with a request to publish the above Notification in the next official gazette

Copy to: Commissioner's file/Additional Commissioner/Joint Commissioner/All DCs/ACs/Guard File.